पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-58
दिनांक: 07.01.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सरोजनीनगर

- **थाना सरोजनीनगर की सफलता ।**
- **आर्मी की वर्दी पहनकर, स्वयं को सैन्यकर्मी बताकर, धोखाधडी/ जालसाजी कर महिला का यौन शोषण करने वाले एक नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**
- **कब्जे से आर्मी की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र व अन्य कागजात बरामद ।**

01-कार्यवाही:-

थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृतमु0अ0सं0 05/25 धारा 319(2)/318(4)/316(2)/168/338/336(3)/340(2) बीएनएस बढोत्तरी धारा 69 बीएनएस से सम्बन्धित स्वयं को सैन्यकर्मी बताकर लोगों के साथ ठगी करने वाला एक नफर शातिर अभियुक्त **1. हैदर अली बेग (तथा कथाकथित नाम हार्तिक बैंगलो) पुत्र सुल्तान बेग नि0 चांदीपुर थाना चांदीपुरजिला बालेश्वर उडीसा उम्र करीब 40 वर्ष** को दिनांक 06.01.25 को आर्मी की वर्दी पहने व फर्जी कूटरचित आधारकार्ड ,आर्मी कैन्टीन कार्ड व अन्य दस्तावेजों सहित गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी ।अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

02- संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 06.01.2025 को आवेदिका ने थाना स्थानीय थाना पर तहरीर दी कि वादिनी की उससे हार्तिक बैंगलो पुत्र शीनू बैंगलो नि0 चांदीपुर थाना चांदीपुरजिला बालेश्वर उडीसाने स्वयं को हिन्दू व सेना में सेवारत होना बताकर, उसे शादी का झाँसा देकर जेवर कीमती करीब 4.5 लाख रुपये ठग लिये । बाद में पता चला कि हार्तिक बैंगलो का असलीनाम हैदर अली बेग पुत्र सुल्तान बेग (मुस्लिम)है । वादिनी की तहरीरी सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

अभियुक्त उपरोक्त की तलाश पतारसी सुरागरसी करते हुए दिनांक 06.01.2025 कोरात्रि मेंअभियुक्त हैदर अली बेग को आर्मी की वर्दी पहने हुए फर्जी पहचानपत्र, कूटरचित मिलेट्री कार्ड, आधारकार्ड व अन्य कूटरचित दस्तावेजों सहित गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

03-अपराध करने का तरीका -

अभियुक्त द्वारा इन्टाग्राम पर युवतियो से दोस्ती कर नजदीकिया बनाकर आर्मी की वर्दी पहनकर स्वयं को आर्मी में सेवारत होना बताकर उनको अपने जाल मे फसा कर शादी का झासाँ देकर शोषण करना तथा उनको विश्वास मे लेकर उनके रुपये व जेवर ठग लेता है । अपना असली नाम पता व धर्म छिपाकर फर्जी नाम व आर्मी से सम्बन्धित कागजात दिखाकर तथा नौकरी दिलाने के नाम पर युवतियो को अपने जाल मे फसाकर अब तक कई युवतियो का शोषण व उनके साथ ठगी का कार्य कर चुका है ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं- 62
दिनांक-07.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

- **थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति को कैंची मारकर घायल करने के आरोपी 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त 01 अदद कैंची व 01 अदद उस्तरा बरामद किया गया।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.01.2025 को आवेदक श्री शिवम सोनी पुत्र संतोष सोनी निवासी गायत्रीनगर नौबस्ता पुलिया थाना मड़ियांव लखनऊ द्वारा बावत विपक्षीगण द्वारा आवेदक के पेट में कैंची मार देने के सम्बन्ध में दाखिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 007/2025 धारा 118(1) बीएनएस बनाम 1.चन्द्रशेखर 2. अनमोल शर्मा के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.01.2025 को थाना मडियांव लखनऊ की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में चौकी क्षेत्र नौबस्ता में मौजूद थी। जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि दो दिन पहले गायत्रीनगर नौबस्ता पुलिया के पास नाई की दुकान में जिन दो लडको ने एक व्यक्ति को कैंची मारकर घायल किया था वह दोनों लड़के इस समय मडियांव पुल के नीचे शौचालय के पास कहीं जाने की फिराक में खडे हुये है यदि जल्दी किया जाये तो पकडे जा सकते है। मुखबिर खास द्वारा बताये गये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम चन्द्रशेखर पुत्र घनश्याम शर्मा निवासी ग्राम भदेसिया थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर हाल पता गायत्रीनगर तृतीय नौबस्ता पुलिया थाना मडियांव जनपद लखनऊ उम्र 28 वर्ष तथा दूसरे ने व्यक्ति ने अपना नाम रामनिवास उर्फ अनमोल पुत्र घनश्याम शर्मा निवासी ग्राम भदेसिया थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर हाल पता गायत्रीनगर तृतीय नौबस्ता पुलिया थाना मडियांव जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष बताया।

पकड़े गये व्यक्तियों की निशानदेंही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद कैंची व 01 अदद उस्तरा बरामद किया गया। पकड़े गये व्यक्ति/अभियुक्त को उसके द्वारा कारित जुर्म व मु0अ0सं0 07/25 धारा 109(1) बीएनएस से अवगत कराते हुए हिरासत में लिया गया।

दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं- 64
दिनांक-07.01.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-माल

- **प्रार्थना पत्र की जाँच में गई पुलिस टीम के साथ गाली गलौज व मारपीट करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.01.2025 को उ0नि0 श्री प्रिन्स कुमार मय हमराह का0 भागेश कुमार के जांच प्रार्थना पत्र में ग्राम धनौरा मजरा दनौर थाना माल पहुँचे तो शिकायकर्ता बराती पुत्र फकीरे नि0 धनौरा मजरा दनौर थाना माल लखनऊ व उसकी पुत्री अंकिता को साथ लेकर विपक्षी महावीर रैदास के ग्राम दनौर स्थित आम के बाग स्थित झोपड़ी पर पहुंचे जहां पर महावीर रैदास व उसका पुत्र दिनेश रैदास व उसकी पत्नी ज्ञानवती मौजूद मिले जिनसे घटना के संबंध में जानकारी कर रहे थे कि उक्त तीनो लोग शिकायतकर्ता से कहासुनी व आमादा फौजदारी होने लगे तथा पुलिस टीम द्वारा मना करने पर पुलिस टीम के साथ भी गाली गलौज व आमादा फौजदारी होने लगे तथा शोर मचाकर अपने परिवार के अन्य सदस्य जिसमें मुख्यता आदर्श रैदास पुत्र महावीर रैदास, काजल पत्नी आदर्श रैदास आदि भी मौके पर आ गये तथा यह लोग भी पुलिस टीम के साथ गाली गलौज तथा आमादा फौजदारी होने लगे ।

संज्ञेय अपराध की रोकथाम हेतु मौके से अभियुक्तगण 1.महावीर रैदास पुत्र खनई 2.आदर्श पुत्र महावीर रैदास उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में हिरासत पुलिस में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 004/2025 धारा 191(2)/132/121(1)/115(2)/352/351(3)/309(5)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. महावीर रैदास पुत्र खनई नि0 ग्राम धनौरा मजरा दनौर थाना माल लखनऊ उम्र करीब 58 वर्ष ।
2. आदर्श पुत्र महावीर रैदास नि0 ग्राम धनौरा मजरा दनौर थाना माल लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1- उ0 नि0 श्री प्रिन्स कुमार

2- आ0 भागेश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-63
दिनांक-07.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- इटौंजा

- **01 नफर वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

माननीय न्यायालय श्रीमान एसीजेएम(एपी)लखनऊ महोदय द्वारा जारी एनबीडब्लू सम्बन्धित वाद सं0 3303000/12 एनसीआर 59/12 धारा 323/504 भादवि थाना इटौंजा से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी मनिया सिह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम अटेसुवा थाना इटौजा लखनऊ उम्र 45 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तारी अधिपत्र दिखाते हुए दिनांक 07/01/2025 को हिरासत पुलिस लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अभियुक्त का नाम,पता, व्यवसाय-

1-मनिया सिह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम अटेसुवा थाना इटौजा लखनऊ उम्र 45 वर्ष / व्यवसाय- मजदूरी

03-सम्बन्धित अभियोगः-

1.वाद सं0 3303000/12 एनसीआर 59/12 धारा 323/504 भादवि थाना इटौंजा लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 रमेश सिंह यादव थाना इटौंजा लखनऊ

2.का0 चिराग त्यागी थाना इटौंजा लखनऊ

3.का0 राहुल यादव थाना इटौजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-57

दिनांक- 07.01.2025

जोन- उत्तरी / अलीगंज लखनऊ

- लड़ाई-झगड़ा कर शान्ति भंग करने वाले 02 नफर अभियुक्त/अराजकतत्वों को किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.01.25 को थाना क्षेत्रान्तर्गत अहिबरनपुर सीतापुर रोड थाना अलीगंज लखनऊ मे आपस मे लड़ाई झगड़ा कर शान्ति भंग करने वाले 02 नफर अभि0 1. विशाल राजपूत पुत्र गंगाराम राजपूत नि0 538/95 अहिबरनपुर सीतापुर रोड थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 23 वर्ष 2. किशोरीलाल गौतम पुत्र हरद्वारी लाल सुनारी नि0 भगवनदीन के किराये का मकान अहिबरनपुर सीतापुर रोड थाना अलीगंज लखनऊ मूल पता ग्राम सुरारी थाना कमलापुर जनपद सीतापुर उम्र 42 वर्ष को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । अभि0गण उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देशय:- लड़ाई झगड़ा कर शान्ती व्यवस्था भंग करना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1-विशाल राजपूत पुत्र गंगाराम राजपूत नि0 538/95 अहिबरनपुर सीतापुर रोड थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 23 वर्ष (व्यवसाय- आढ़त में काम करता है ।)

2-किशोरीलाल गौतम पुत्र हरद्वारी लाल सुनारी नि0 भगवनदीन के किराये का मकान अहिबरनपुर सीतापुर रोड थाना अलीगंज लखनऊ मूल पता ग्राम सुरारी थाना कमलापुर जनपद सीतापुर उम्र 42 वर्ष (व्यवसाय-आढ़त में काम करता है ।)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस-

1-म0उ0नि0 अनामिका सिंह थाना अलीगंज लखनऊ ।

2-का0 जय सिंह यादव थाना अलीगंज लखनऊ ।

3-का0 रोहित कुमार थाना अलीगंज लखनऊ ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-59
दिनांक- 07.01.2025

जोन- पश्चिमी / दुबग्गा

- **नाबालिग पीडिता / अपहृता की बरामदगी करते हुए वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.08.2023 को वादी मुकदमा की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त मुन्ना कश्यप पुत्र छोटके निवासी बदौरा थाना मलिहाबाद लखनऊ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को शादी के उद्देश्य से अपने साथ भगा ले जाने देने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत करने के उपरान्त मुकदमा अपराध संख्या 0250/2023 धारा 363/366 भा0द0वि0 बनाम मुन्ना कश्यप आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.01.2025 को चेन्नई, तमिलनाडु से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीडिता/अपहृता की बरामदगी व अभियुक्त मुन्ना कश्यप पुत्र छोटक्के निवासी ग्राम बदौडा थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष की गिरफ्तारी करते हुए अभियुक्त मुन्ना कश्यप उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

02- पंजीकृत अभियोग -

1-मु0अ0सं0 0250/2023 धारा 363/366 भा0द0वि0 कोतवाली दुबग्गा लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- मुन्ना कश्यप पुत्र छोटके निवासी बदौरा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 तेज कुमार शुक्ला कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
2-का0 कौशिन्द्र भागर कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
3-म0का0 अनीता कोतवाली दुबग्गा लखनऊ